सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 9- जल उपभोक्ता समिति द्वारा सिंचाई अंकन

विषय 9.1 क्षेत्रफल आधारित सींच अंकन

विषय -9.1

क्षेत्रफल आधारित सींच अंकन

मॉड्यूल 9 के विषय :

9.1 क्षेत्रफल आधारित सींच अंकन

9.2 आयतन आधारित सींच अंकन

9.3 सिंचाई अंकन में जल उपभोक्ता समिति और विभाग की भूमिका

9.4 सींच कर की वसूली

क्षेत्रफल आधारित सिंचाई अंकन

भारत के लगभग प्रत्येक भाग मे कुछ नहर प्रणालियों के कुछ भाग को छोड़ कर सींच लिखने के लिए क्षेत्रफल को ही आधार बनाया गया है. इसके लिए निम्न इकाई प्रयोग मे लायी जाती हैं,

क्षेत्रफल की इकाई एवं परिवर्तन गुणांक: -

बीघा स्थानीय इकाई है इसका मान स्थान स्थान पर बदलता रहता है। एकड़ व हेक्टेयर पक्की इकाई है अतः इनका प्रयोग उचित है। बीघा के मान के लिए स्थानीय स्तर पर जानकारी करनी चाहिए।

1 पक्का बीघा =2531.93 वर्ग मीटर (27225 वर्ग फीट)

1 एकड़ =1.6 पक्का बीघा =(43560 वर्ग फीट)

1 वर्ग फुट =0.093 वर्ग मी0

1 एकड़ = 4047 वर्ग मीटर =0.4047 हैक्टेयर

10 वर्ग चेन =1 एकड़

(66 फीटx 66 फीट)

1 हैक्टेयर =10000 वर्ग मी0=100 x 100 मी0=2.47 एकड़

100 हेक्टेयर = 1 वर्ग कि0मी0

1 वर्ग मील =259 हैक्टेयर (2.59 वर्ग कि0मी0)

सींच अंकन प्रकिया - सींच अंकन के उपयोगार्थ कमाण्ड के कृषकों की सूचना हेतु कृषक को की सूची रखी जायेगी जिसे तहसील /ताल्लुका के अभिलेख से लिया जा सकता है. सामान्यतया इसे सिंचाई विभाग उपलब्ध कराते है.

(1) कुलाबा समिति द्वारा कुलाबा कमाण्ड के कृषकों की सूचना रखने हेतु कुलाबा कृषक सूची में रखा जाएगा। इस सूची को सामान्यतया विभाग उपलब्ध कराते हैं. इसे जिला / ताल्लुका भू अभिलेख से भी प्राप्त किया जा सकता है.

चित्र 1 -कृषक सूची का सैंपल

(2) अल्पिका समिति द्वारा अल्पिका से सम्बद्ध समस्त कुलाबों के कृषकों की सूचना रखने हेतु अल्पिका कृषक पंजिका रखी जाएगी।

(3) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा प्रथम बार कृषक पंजिका हेतु आवश्यक सूचना पंजिका में अंकित करवाकर कृषक पंजिका अल्पिका समिति को दिया जाएगा।

कृषक सूची प्रपत्र

जल उपभोक्ता समिति का नाम .....

क्र	कृषक का नाम	कृषक के पिता का नाम	पता: ग्राम,तहसील, जिला	खेत /गाटा संख्या	खेत/गाटा का क्षेत्रफल (है)	नहर से सिंचित क्षेत्रफल (है)		एनी स्रोतों से सिंचित क्षेत्र	असिंचित क्षेत्र	बंजर क्षेत्र	मोब. संख्या
						सीधा बहाव/तोड़	उठान/ डाल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(4) सक्षम नहर अधिकारी द्वारा सींच अंकन हेतु कुलाबा कमाण्ड मानचित्र (शजरा, रूमाल आदि) की दो प्रतियों में अल्पिका समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। एक प्रति का उपयोग अल्पिका समिति द्वारा तथा दूसरी प्रति का उपयोग सम्बन्धित कुलाबा समिति द्वारा किया जाएगा।

चित्र -2 शज़रा मैप

(5) कुलाबा समिति के अध्यक्ष या सचिव अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कुलाबा समिति के किसी सदस्य द्वारा प्रत्येक सप्ताह सींच लिखने का कार्य किया जाएगा। सींच लिखने को अधिकृत व्यक्ति द्वारा साप्ताहिक सींच अंकित कर विवरण अल्पिका समिति को जमा कर दी जाएगी।

(6) अल्पिका समिति आवश्यकतानुसार सींच अंकन में कुलाबा समिति की सहायता हेतु किसी अन्य व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकती है। जिसकी सूचना नियुक्ति से पूर्व अथवा तुरंत बाद सम्बंधित नहर अधिकारी को दी जाएगी।

(7) सींच अंकन करने वाले सदस्य/व्यक्ति को अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्धारित मानदेय भी दिया जा सकता है।

(8) किसी कृषक द्वारा जितनी बार जल का उपयोग किया जाएगा उसका अंकन उतनी बार किया जाएगा।

(9) कुलाबा समिति को सींच अंकन हेतु सींच अंकन प्रपत्र अल्पिका समिति द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

सींच अंकन प्रपत्र

(क्षेत्रफल आधारित)

1. अल्पिका का नाम .....2. कुलाबा संख्या .....

3. कुलाबे की चैनैज..... 4. सिंचाई वर्ष .....

5. फसल ऋतु (रबी/खरीफ)..... 6. सिंचाई का सप्ताह .....

क्र0	कृषक का नाम	कृषक के पिता का नाम	पता /ग्राम/ तहसील/ जिला	खेत/गाटा संख्या	खेत का कुल क्षेत्रफल)	सिंचित गाटा की माप			जिन्स का नाम	सिंचाई का प्रकार	
						औसत लम्बाई (मी)	औसत चो0 मी)	क्षेत्रफल (है)		प्रवाह / तोड़	उठान / डाल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1. सिंचाई लिखने वाले व्यक्ति का नाम

2. हस्ताक्षर .....पता .....

क्षेत्रफल आधारित सींच लिखा जाना:

क्षेत्रफल आधारित सींच लिखे जाने के लिए ऊपर दिया गया प्रपत्र उपयोग मे लिया जा सकता है. उपरोक्त प्रपत्र मे स्तम्भ 1 से 6 तक की सूचनाएँ लिखने के पश्चात 7 वे स्तम्भ में सिंचित खेत की माप लिखी जाएगी. 7वा स्तम्भ लम्बाई के लिए है उसमे सिंचित क्षेत्र की औसत लम्बाई लिखी जायेगी तथा 8 वे स्तम्भ में औसत चौड़ाई. अगर सींचा हुआ क्षेत्र आयताकार नहीं है तो लम्बाई व चौड़ाई को कई स्थान पर मापकर औसत निकाला जाएगा. यह औसत लम्बाई चौड़ाई मीटर में लिखी जाएँगी. इनकी गुणा करके क्षेत्रफल को हेक्टेयर में निकाल सकते है. इसके साथ साथ जिन्स का नाम व तोड़ अथवा डाल भी लिखा जायेगा क्योंकि जल शुल्क की दरें हर जिन्स की अलग अलग व डाल और तोड़ के लिए अलग अलग हो सकती है.

उदाहरण:

प्रश्न: सिंचित खेत जिसमे गेहूँ की फसल है की लम्बाई 60 मीटर व चौड़ाई 45 मीटर है । सिंचित क्षेत्र का सिंचाई शुल्क क्या होगा यदि गन्ने का शुल्क प्रति हे 1400/= तथा गेहूँ व धान का वर्तमान शुल्क दर 950/= प्रति हे हो.

उत्तर: खेत का क्षेत्रफल 60 x 45 =2700 वर्ग मीटर = 0.27 हे

गेंहू की दर 950/= प्रति हे है इसलिए गेहूँ का सिंचाई शुल्क 0.27 x 950 /- = रू 256.50 होगा

इसी प्रकार गन्ने के इसी क्षेत्रफल का शुल्क 0.27 X 1400 = रू 378/- होगा.

स्वयं करके देखे

अभ्यास: एक किसान ने 90x 30 मीटर गेहूँ तथा 20x 90 मीटर गन्ना सिंचित किया है. यदि गेहूँ का जल शुल्क 950/- तथा गन्ने का 1400/- प्रति हे हो तो सिंचित क्षेत्र का गेहूँ व गन्ने के लिए अलग अलग शुल्क क्या होगा? किसान को दोनों के कितने रुपये देने होंगे.

(10) उत्तर प्रदेश मे सींचपाल द्वारा भी सिंचाई की प्रगति के साथ सींच अंकन किये जाने का प्राविधान है।

सींचपाल द्वारा अंकित सींच की स्थिति मे सींच का मिलानः-कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच एवं सींचपाल द्वारा अंकित सींच का मिलान निम्नानुसार किया जाएगाः-

(1) सींचपाल स्वयं द्वारा अंकित सींच तथा अल्पिका समिति के पास उपलब्ध कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच का मिलान अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति की बैठक में करेंगे तथा मिलान का विवरण तैयार करेगे।

(2) कुलाबा समिति द्वारा अंकित सींच एवं सींचपाल द्वारा अंकित सींच में किसी प्रकार का अंतर पाए जाने पर मामला अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रबन्धन समिति द्वारा विसंगति का समाधान किया जाएगा एवं विवरण अंकित किया जाएगा।

(3) अल्पिका समिति एवं सींचपाल के मध्य सींच अंकन से सम्बन्धित उत्पन्न किसी विवाद का समाधान सक्षम नहर अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा तथा इसका विवरण अंकित किया जाएगा।

(4) अल्पिका समिति द्वारा अन्तिम सींच का विवरण तैयार कर कुलाबा समिति के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा।

आपत्तियाँ प्राप्त करना तथा सींच का अन्तिमीकरणः-

(1) अल्पिका समिति द्वारा कृषकों को उनकी सींच सूचित करते हुए उन से आपत्ति प्राप्त की जाएगी। इस हेतु अल्पिका समिति द्वारा सम्बन्धित कुलाबा समिति को कुलाबे के समस्त कृषकों की सींच सूचित करते हुए उसकी प्रति उपलब्ध कराने के साथ पंचायत भवन तथा अपने कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। आपत्ति प्राप्त करने हेतु 7 दिन का समय दिया जाएगा।

कृषक को उपलब्ध कराये जाने वाला सींच का विवरण

(क्षेत्रफल आधारित)

1 अल्पिका का नाम ----------

2 कुलाबा संख्या ----------

3 कुलाबा की चैनैज ----------

4 गाँव का नाम ----------

5 तहसील का नाम ----------

6 जिला का नाम ----------

7 सिंचाई वर्ष ----------

8 रबी/खरीफ --.....

क्र0 स0	कृषक का नाम	पिता का नाम	खेत/गाटासंख्या	खेत का कुल क्षेत्रफल (हे0)	जिन्स का नाम	सिंचित क्षेत्रफल (हे0)	सिंचाई का प्रकार	
							प्रवाह (तोड़)	उठान (डाल)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

अल्पिका समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं
मोहर

(2) अल्पिका समिति द्वारा आपत्तियों की जाँच की जाएगी। जाँच पर अन्तिम निर्णय प्रबन्धन समिति द्वारा लिया जाएगा एवं तदुनुसार निर्धारित प्रपत्र में यथावश्यक संशोधन किया जाएगा, जिसकी सूची अलग से तैयार की जाएगी।

(3) निर्धारित प्रपत्र तथा संशोधित सूची पर अल्पिका समिति के अध्यक्ष एवं सींचपाल द्वारा हस्ताक्षर कर नहर के राजस्व अधिकारी/जिलेदार को जमाबन्दी तैयार करने हेतु प्रेषित की जाएगी। संशोधित प्रपत्र तथा संशोधित सूची की एक प्रति अल्पिका समिति के सचिव के पास सुरक्षित रहेगी।

(4) अधिशासी अभियन्ता/उपराजस्व अधिकारी द्वारा जमाबन्दी तैयार कराई जाएगी।

(5) खरीफ फसल की सींच का संशोधित प्रपत्र अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा 15 नवम्बर तक उपराजस्व अधिकारी/जिलेदार को जमा कर दिया जाना चाहिए।

(6) रवी फसल की सींच का संशोधित निर्धारित प्रपत्र अल्पिका/फेडरेटेड अल्पिका समिति द्वारा 15 अप्रैल तक उपराजस्व अधिकारी को जमा कर दिया जाएगा।